सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 माघ, 1943 (श०)

संख्या - 26 राँची, बुधवार, 2 फरवरी, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

24 जनवरी, 2022

संख्या-5/आरोप-1-65/2017-856 (HRMS)--श्री अंगारनाथ स्वर्णकार, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-इलाहाबाद 'उ०प्र०'), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सदर प्रखण्ड, साहेबंगज के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2752, दिनांक 31.05.2017 के माध्यम से उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, साहेबगंज के पत्रांक-132(गो०)/जि०ग्रा० दिनांक 25.04.2017 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरूद्ध गठित आरोप का सारांश निम्नांकित है-

(i) प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 1222 लाभुकों का आवास सॉफ्ट में निबंधन के विरूद्ध मात्र 1081 लाभुकों का जियो टैगिंग एवं 954 लाभुकों का एफ०टी०ओ० जेनरेट करना।

(ii) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत कुल स्वीकृत 1078 आवासों में दिनांक 25.04.2017 तक सिर्फ 687 लाभुकों को प्रथम किस्त एवं 12 लाभुकों को द्वितीय किस्त की राशि एफ०टी०ओ० के माध्यम से उपलब्ध करवाना ।

(iii) सितम्बर, 2016 तक 178 लम्बित इंदिरा आवासों का कार्य पूर्ण करवाने संबंधी निदेश की अवहेलना ।

(iv) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में एस०टी० लाभुकों के निर्धारित लक्ष्य में 60 लक्ष्य के प्रत्र्यापण के संबंध में योग्य लाभुकों की संख्या शून्य होने संबंधी स्पष्ट प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवाना ।

(v) मनरेगा योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में आजीविका संवर्द्धन हेतु प्रति पंचायत 100 से 150 दिनों का रोजगार दिये जाने के लक्ष्य के विरूद्ध दिनांक 25.04.2017 तक मात्र 48 मानव दिवस का सृजन होना ।

(vi) मनरेगा अंतर्गत द्वितीय चरण में डोभा निर्माण के कुल लक्ष्य 62 के विरूद्ध 25.04.2017 तक मात्र 45 डोभाओं की प्रशासनिक स्वीकृति एवं सिर्फ 35 योजनाओं में कार्य प्रारंभ करवाना ।

(vii) मनरेगा अंतर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों का शत-प्रतिशत जियो टैगिंग के लक्ष्य के विरूद्ध दिनांक 25.04.2017 तक कुल 743 पूर्ण योजनाओं के विरूद्ध मात्र 29 योजनाओं का जियो टैगिंग होना ।

(viii) मनरेगा अंतर्गत वर्षवार Delay Payment Compansation को Clear करने के निदेश के विपरीत वर्ष 2016-17 की स्वीकृत राशि से अब तक 1544/- रू० का भुगतान नहीं करना।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-7448, दिनांक 22.06.2017 द्वारा श्री स्वर्णकार से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री स्वर्णकार द्वारा अपना स्पष्टीकरण उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-01/गो०, दिनांक 09.02.2018 के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करवाया गया। श्री स्वर्णकार द्वारा अपने स्पष्टीकरण में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(i) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत उनके द्वारा 86.15 लाभुकों का जियो टैगिंग किया गया एवं 687 लाभुकों को प्रथम किस्त एवं 12 लाभुकों को द्वितीय किस्त का भुगतान किया गया। राजमहल प्रखंड के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रखंड द्वारा द्वितीय किस्त का भुगतान नहीं किया जा सका था ।

(ii) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में signed एफ०टी०ओ० की संख्या राजमहल प्रखंड को छोड़कर अन्य प्रखंडों से बेहतर थी। दिनांक 25.04.2017 को उक्त योजना में द्वितीय किस्त का भुगतान सर्वाधिक साहेबगंज प्रखंड में 12 लाभुकों का एवं राजमहल तथा बड़हरवा प्रखंड द्वारा क्रमशः 11 एवं

6 लाभुकों को दिया गया है एवं अन्य किसी भी प्रखंड द्वारा किसी भी लाभुक को द्वितीय किस्त का भुगतान नहीं किया गया ।

(iii) उप विकास आयुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-2344 दिनांक 29.06.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रखंड, साहेबगंज में लम्बित इंदिरा आवास के कुल लक्ष्य 917 के विरूद्ध 744 (81.13%) आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया। पूर्णता का प्रतिशत पूरे जिले में सर्वाधिक है ।

(iv) आरोप संख्या-4 के संबंध में कहना है कि इस आरोप में सत्यता नहीं है, क्योंकि इस आरोप में झारखण्ड सरकार के पत्रांक-112(अनु०)/ग्रा०वि०--PMAY(G) राँची, दिनांक 10.01.2017 में कृत स्पष्ट प्रावधान पर ध्यान नहीं दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित लक्ष्य में कोटिवार कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसके आलोक में सभी पंचायतों से विधिवत प्रतिवेदित किये जाने के उपरांत एवं इस तथ्य से संतुष्ट होने पर कि उपलब्ध लाभुकों में से तत्कालीन मानकों के आधार R0/R1 (शून्य/एक कक्ष) शून्य कमरे वाले एवं एक कमरे के कच्चे मकान वाले सुयोग्य लाभुक नहीं हैं, मेरे द्वारा सप्रमाण पत्र इस कार्यालय के पत्रांक-280, दिनांक 03.03.2017 द्वारा एवं तदुपरान्त पत्रांक-463, दिनांक 02.04.2017 द्वारा उपलब्ध कराया गया है। तदुपरान्त सूची भी उपलब्ध करायी गई है ।

(v) आरोप संख्या-5 के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि साहेबगंज सदर प्रखंड मुख्यतः शहरी बनावट व बसावट वाला क्षेत्र है, जहां पर पत्थर क्रेशरों व शहर में रेलवे आदि में कार्य करने वाले श्रमिकों को रू० 300/- प्रतिदिन तक की अधिक मजदूरी प्राप्त होने से मनरेगा में इनका उत्साह कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त साहेबगंज प्रखंड का सम्पूर्ण क्षेत्र 11 पंचायतों दियारा क्षेत्र में पड़ता है। जहां क्षेत्र वर्ष में करीब 4-6 माह तक जलमग्न रहता है। यहां पर डोभा जैसी योजना का कार्यान्वयन अत्यंत कठिन है और विभाग में सड़कों, बांधों व तालाबों आदि योजनाओं पर माह मई, 2017 तक कठोर पाबंदियां लगाई थी। उपरोक्त कठिनाइयों के बावजूद प्रखंड साहेबगंज में अगस्त, 2017 तक के कुल 35102 मानव दिवस के लक्ष्य के विरूद्ध 32046 मानव दिवस का सृजन किया गया ।

(vi) आरोप संख्या-6 के संदर्भ में कहना है कि दिनांक 25.04.2017 के रिपोर्ट से स्वतः स्पष्ट है कि प्रखंड, साहेबगंज में 56.45% डोभा योजनाओं पर काम प्रारंभ कराया गया, जबकि अन्य सभी प्रखंडों में प्रारंभ का प्रतिशत कम है ।

(vii) आरोप संख्या-7 के संदर्भ में निवेदन करना है कि जियो टैगिंग का पंचायतों में ग्राम रोजगार सेवकों द्वारा किया जाता है, जिसका अनुमोदन प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा द्वारा तथा उन्हें प्रदान किये गये यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड के माध्यम से किया जाता है। दोनों को प्रत्येक बैठक में शीघ्रता से कार्य करने का निर्देश दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 19.04.2017 तक 148 योजनाओं का ID Correction कर लिया गया था तथा 29 योजनाओं का जियो टैगिंग कर लिया

गया, जो कि 3.90% है, जबकि इसी संदर्भित तिथि अर्थात् 25.04.2017 को बरहेट, पतना एवं उधवा प्रखंड साहेबगंज की तुलना में पीछे थे, परन्तु भेदभाव पूर्ण तरीके से प्रखंड, साहेबगंज को आरोपित किया जाना उचित/न्याय पूर्ण प्रतीत नहीं होता है ।

उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा श्री स्वर्णकार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार करते हुए उनके विरूद्ध प्रस्तावित विभागीय कार्यवाही समाप्त करने की अनुशंसा की गई है ।

उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य पर विभागीय पत्रांक-7126, दिनांक 19.08.2018 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गई। उक्त के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3489, दिनांक 13.10.2020 द्वारा उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा प्रेषित मंतव्य पर निम्नांकित मंतव्य दिया गया-

(i) मनरेगा योजना से संबंधित लगाये गये आरोपों पर वर्तमान में प्रगति संतोषजनक नहीं है। लगभग एक वर्ष के उपरांत भी Jeo Tagging Delay Compensation डोभा निर्माण एवं रोजगार सृजन में अत्यल्प कार्य हुआ है। अतः मनरेगा से संबंधित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है ।

(ii) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से संबंधित लगाये गये आरोपों पर वर्तमान में प्रगति कर ली गई है। अतः प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से संबंधित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य है।

श्री स्वर्णकार के विरूद्ध आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं इनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, साहेबगंज के मंतव्य पर ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के मंतव्य से सहमत होते हुए विभागीय संकल्प सं०-1128(hrms), दिनांक 02.02.2021 द्वारा श्री स्वर्णकार के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अंतर्गत "निन्दन" का दण्ड अधिरोपित किया गया ।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री स्वर्णकार द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड के गै०स०प्रे०सं०-3600736, दिनांक 30.07.2021 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है। श्री स्वर्णकार द्वारा अपने अपील आवेदन में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है-

(i) अधिरोपित निन्दन दण्ड की पृष्ठभूमि यह है कि मेरे पूर्वतः पदस्थापन स्थल प्र०वि०पदा० सदर साहेबगंज के पद पर कार्यरत रहने के दौरान तत्कालीन उप विकास आयुक्त महोदय द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम, 2005 एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रति कतिपय कथित आरोपों को गठित करके ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित किया गया था, जिसके सापेक्ष विभाग ने मुझ पर निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया है ।

(ii) मेरे विरूद्ध प्रपत्र-'क' के प्रेषण के पूर्व उप विकास आयुक्त महोदय न तो मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया और नहीं उन्होंने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के नियंत्री पदाधिकारी अर्थात उपायुक्त महोदय की इस संबंध में अनुमति/सहमति ली। उपायुक्त महोदय के संज्ञान में आने पर उनके द्वारा मेरे हित में उप विकास आयुक्त महोदय के द्वारा प्रेषित प्रपत्र-'क' के सापेक्ष मेरे बचाव हेतु सकारात्मक मंतव्य के साथ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराया गया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा माँगे गये मंतव्य के प्रत्युत्तर में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य के आलोक में PMY(G) संबंधी मंतव्य को स्वीकार्य एवं मनरेगा संबंधी आरोपों के अस्वीकार्य मानते हुए मुझ पर निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया है ।

(iii) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य के सापेक्ष दण्डाधिरोपण से पूर्व मुझे अपना पक्ष रखने का न तो अवसर प्रदान किया गया है, और न ही मुझे मंतव्य के बारे में दण्डाधिरोपण से पूर्व कोई सूचना दी गई है ।

(iv) चूँकि उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा संतुष्टिपूर्वक एवं सम्यक् विचारोपरांत मेरे विरूद्ध प्रस्तावित विभागीय कार्रवाई को समाप्त करने की अनुशंसापूर्वक विभाग को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया था, अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संभवतः ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस विषय की सम्यक् व सविस्तार समीक्षा नहीं की गई और इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि इस कारण मामले के निष्पादन में अत्यधिक हड़बड़ी हो गई है, इसलिए मनरेगा संबंधी आरोपों की ग्रामीण विभाग द्वारा पुनः समीक्षा एवं पुनर्विचार की आवश्यकता प्रार्थनीय है ।

(v) जिन आरोपों के सापेक्ष मुझ पर निन्दन का दण्ड अधिरोपण किया गया है, उनका कथ्य, सारांशतः निम्नवत् है-

आरोप सं०-5 में एक दिन विशेष अर्थात दिनांक 25.04.2017 को मानव दिवसों की संख्या-48 को आरोप का आधार बिन्दु बनाया गया है, परन्तु मेरे द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण में ही स्पष्ट है कि यह तिथि पर उस प्रखण्ड में लगभग सभी योजनाओं में साप्ताहिक पूर्णता का दिन था। यही नहीं, कई प्रखण्ड उस दिन भी इस दृष्टि से साहेबगंज प्रखण्ड से पीछे थे। यह भी निवेदन किया गया था कि सदर प्रखण्ड वस्तुतः शहरी बनावट वाला था तथा श्रमिकों को आकर्षित करने वाली अनेक योजनायें यथा तालाब, बांध, सड़कों के निर्माण पर रोक थी। इसके बावजूद August 2017 तक ही प्रखण्ड ने अपने Labour Budget 35102 के सापेक्ष 32046 (91%) पूर्ण कर लिया था। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इन बिन्दुओं पर पर्याप्त समीक्षा व विचार नहीं किया गया है और न ही इससे यह साबित हुआ है कि मेरे द्वारा जानबूझकर कोई गलती की गई है ।

आरोप सं०-6 में आरोप लगाया गया है कि 62 डोभा के साक्ष्य के सापेक्ष मात्र 45 पर ही कार्य प्रारंभ किया गया। इस संबंध में मैंने निवेदन किया था कि प्रखण्ड- साहेबगंज का गंगा नदी के डूब क्षेत्र में स्थित होना, मिट्टी का बालूकामय होना, गंगा नदी की वजह से जलस्तर का स्वतः ऊपर होना एवं ढालू भूमि का अभाव, ऐसी परिस्थितियाँ थी जिनकी वजह से साहेबगंज सदर प्रखण्ड में डोभा योजनाओं की उपयुक्तता अत्यंत कम थी, अतएव वहाँ पर इसका लक्ष्य भी आपेक्षाकृत कम रखा गया था। तथापि प्रदत्त लक्ष्य 62 के सापेक्ष में आलोच्य तिथि अर्थात 25.04.2017 को साहेबगंज जिले के कई प्रखण्ड डोभा कार्य प्रारंभ करने के मामले में साहेबगंज सदर प्रखण्ड से भी काफी पीछे थे। मेरे द्वारा दिये गये इस स्पष्टीकरण को भी समुचित मूल्य प्रदान नहीं किया गया, जबकि ये ऐसी परिस्थितियाँ है, जो किसी भी व्यक्ति के नियंत्रण से परे है ।

आरोप सं०-7 में कहा गया है कि मेरे द्वारा मनरेगा योजनाओं का Geotag करवाने में कोताही बरती गई है। इसके संबंध में भी मैंने अनुरोध किया था कि पंचायत में चल रही मनरेगा योजनाओं के Geotag का कार्य B.P.O व G.R.S द्वारा किया जाना था, जिन्हें सम्यक निदेश दे दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने कार्य प्रारंभ किया परन्तु गंगा नदी में प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ से निमग्न हो जाने के कारण अधिकांश योजनायें या तो विलुप्त हो गयी थीं या अपने मूल रूप में दृष्टिगोचर नहीं हो रही थीं, जिससे इनका Geotag नहीं हो पाया, क्योंकि Geotag में अक्षांश-देशांतरपूर्वक में Photograph लिया जाता है। यह ऐसी परिस्थिति थी, जो किसी भी पदाधिकारी के स्वयं के नियंत्रण से परे है। Geotag के प्रारंभिक दौर में भी श्रमसाध्य परिश्रम के उपरांत संदर्भित तिथि अर्थात 25.04.2017 की 148 योजनाओं का ID Correction एवं 29 योजनाओं को Geotag कर लिया गया, जो कि साहेबगंज जिले के कई प्रखण्डों यथा बरहेट/पतना/उधवा से अधिक था। पुनः जैसे निमग्न योजनाओं से बाढ़ का पानी उतरता गया, प्रखण्ड में Geotag बढ़ता गया और दिनांक 08.10.2017 को कुल 447 योजनाओं का Geotag कर लिया गया। इस प्रकार इस आरोप में भी यह साबित नहीं किया जा सका कि मेरे द्वारा जानबूझकर कोई भी गलती की गई हो, या मनरेगा अधिनियम का उल्लंघन किया गया हो। इस प्रकार नियंत्रण से परे परिस्थिति/बाढ़ के पानी के हटने पर इस Geotag में पर्याप्त प्रगति हो गई। तथापि इस नियंत्रण से परे परिस्थिति के आधार पर मुझको दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है ।

इसी प्रकार अंतिम व आठवे आरोप में कहा गया है कि लंबित 1544.00 रूपये के Delay Compensation की 29 मेरे द्वारा Clear नहीं करवाया गया है। इस संबंध में भी मेरे द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया कि Delay Compensation देने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित पंचायत की है, क्योंकि न ही कार्यान्वयन एजेंसी है। मेरे द्वारा संबंधित मुखिया/पंचायत सचिव से वसूलनीय दण्ड की राशि को NREGASOFT में अनुमोदित कर दिया गया। परन्तु गैर जिम्मेवार मुखिया व पंचायत सचिव ने तब तक इस कार्य को निष्पादित नहीं किया जब तक कि उनको पदच्युत करने के लिये उप विकास आयुक्त महोदया की अनुशंसित नहीं कर दिया गया। इस प्रकार कार्य नहीं करने वाले कर्मियों

के विरूद्ध अपेक्षित कार्रवाई मेरे द्वारा की गई। तथापि मुझे दोषी ठहराकर दण्डाधिरोपित करना सिर्फ इस बात की परिचायक है कि विभाग द्वारा इस बारे में स्पष्टीकरण पर सम्यक् विचारण नहीं किया गया, जिसकी आवश्यकता है ।

इस प्रकार उक्त से स्पष्ट है कि-

(i) प्रपत्र-'क' प्रेषण में नियंत्री पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, साहेबगंज की अनुमति/ सहमति प्राप्त नहीं की गई है ।

(ii) फिर भी ग्रा०वि०वि० के पत्रांक-2752, दिनांक 31.05.2017 में उप विकास आयुक्त के पत्र को उपायुक्त, साहेबगंज का पत्र बताकर आरोप में अग्रतर कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

(iii) उपायुक्त, साहेबगंज के द्वारा मेरे पक्ष में दिये गये मंतव्य को अंशतः ही स्वीकार्य बताया गया है परन्तु अस्वीकार्यता के कारणों को मुझे नहीं बताया गया है, ताकि इस संबंध में मैं अपना पक्ष रख सकूँ ।

(iv) दण्ड का भागी बनाने व आरोप पत्र गठित करने के क्रम में उप विकास आयुक्त द्वारा मेरे प्रखण्ड की कई अन्य प्रखण्डों की अपेक्षा उच्चतर स्थिति/प्रगति को नजरअंदाज कर दिया गया है, जो अनुचित प्रतीत होता है ।

(v) दण्डाधिरोपण से पूर्व मुझको अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

(vi) जबकि भारत के संविधान में अनुच्छेद-23 में स्पष्ट प्राविहित है कि (1) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिये तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जायेगा, जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के समय, जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत विधि का अतिक्रमण नहीं किया है, या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी ।

तथापि आरोप पत्र या उसके परवर्ती किसी भी माध्यम से यह अधिरेखित नहीं किया गया है कि प्रवृत विधि-मनरेगा की किस धारा का उल्लंघन/अतिलंघन किया गया है। यह भी अधिरेखित नहीं किया गया जिन बिन्दुओं पर साहेबगंज प्रखण्ड साहेबगंज जिला के सभी प्रखण्डों में मध्य में था, उनमें भी मैंने व्यक्तिगत तौर पर कोई भी कमी छोड़ी या जानबूझकर कोई ऐसा कार्य किया जो कि अधिनियम के अनुसार प्रतिगामी है।

इसी प्रकार मनरेगा अधिनियम की धारा-30 में प्राविहित है कि सदाशयतापूर्वक कार्य करने वाले किसी भी पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध कोई भी वाद/कार्रवाई संस्थित नहीं की जायेगी। परन्तु विभाग द्वारा मनरेगा संबंधी असहमति के बिन्दुओं पर न तो यह सिद्ध किया जा सका है कि मैंने किसी भी प्रकार से दुराशयतापूर्ण व्यवहार किया गया है और न ही यह कि मैंने किसी प्रकार की नकारात्मक मानसिकता का परिचय दिया है ।

वस्तुतः मनरेगा संबंधी जिन बिन्दुओं पर प्रखण्ड में अपेक्षाकृत कम प्रगति हुई जैसे कि डोभा का निर्माण Geotaging Delay Compensation व Labour Engagement उनसे संबंधित तीन बातें उल्लेखनीय हैं-

1. संलग्न प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि साहेबगंज सदर प्रखण्ड सभी प्रखण्डों में सबसे पीछे कभी नहीं था ।
2. स्थानीय भौगोलिक व सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियाँ जैसे कि बाढ़ में प्रखण्ड की सभी पंचायतों का जलमगन हो जाना, मिट्टी का बालूकामय होना, सदर प्रखण्ड होने के कारण मजदूरों का ज्यादा मजदूरी दर वाले शहरी कामों की ओर आकर्षण तथा मुखिया लोगों का अपेक्षाकृत अनुत्तरदायित्वपूर्ण रवैया ।
3. जैसे-जैसे बाधक परिस्थितियाँ हटती गई वांछित मनकों पर प्रगति होती गई यथा- जैसे-जैसे बाढ़ का पानी नमग्न योजनाओं से हटता गया वैसे-वैसे Geotaging में प्रगति होती गई ।

परन्तु दुर्भाग्यवश आरोप पत्र गठन से लेकर दण्डाधिरोपण तक की अधोपान्त प्रक्रिया में कही पर भी इन नियंत्रण से परे परिस्थितियों की सम्यक् समीक्षा नहीं की गई, जो कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अवश्यमेव करणीय है ।

अतः न्यायहित में एवं मेरे भविष्य को दृष्टिगत करके, अपील के पूर्वोक्त आधारों पर संज्ञान लेते हुए अधिरोपित निन्दन के दण्ड की पुनर्समीक्षा कर दण्डमुक्ति हेतु आदेश देने की कृपा करें ताकि राज्य के हित के प्रति मेरी तत्परता एवं मनोबल अमिट रह सके ।

श्री स्वर्णकार द्वारा समर्पित अपील आवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा अपने अपील आवेदन में मुख्य रूप से कहा गया है कि प्रपत्र-'क' भेजने के पूर्व उप विकास आयुक्त द्वारा इनको अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया और न ही इस पर उपायुक्त, साहेबगंज से अनुमति/सहमति ली गयी। इनके द्वारा यह भी कहा गया कि इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा सम्यक् विचारोपरांत इनके विरूद्ध प्रस्तावित विभागीय कार्यवाही समाप्त करने की अनुशंसा की गई है। सदर प्रखण्ड वस्तुतः शहरी बनावट वाला था तथा श्रमिकों को आकर्षित करने वाली अनेक योजनायें यथा तालाब, बांध, सड़कों के निर्माण पर रोक थी। इसके बावजूद August 2017 तक ही प्रखण्ड ने अपने Labour Budget 35102 के सापेक्ष 32046 (91%) पूर्ण कर लिया था। इसी प्रकार कुल 447 योजनाओं का Geotaging कर लिया गया एवं Delay Compensation clear नहीं करने वाले कर्मियों के विरूद्ध अपेक्षित कार्रवाई इनके द्वारा की गई। श्री स्वर्णकार के स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-01/गो०, दिनांक 09.02.2018 द्वारा अपने मंतव्य में प्रतिवेदित किया गया है कि इनके द्वारा प्रदत्त बिन्दुवार प्रत्युत्तर से ज्ञात होता है कि इनके द्वारा संदर्भित तिथि 24.04.2017 को आरोपित बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्रवाई करते हुए 81.13% इंदिरा आवास की योजनाएँ पूर्ण की गई है। अपने पदावधि के दौरान 65.74% लाभुकों

को PMAY(G) की प्रथम किस्त का भुगतान किया गया है, 91.29% मानव दिवस सृजन किया गया है, प्रतिकूल परिस्थिति होने के बावजूद तुलनात्मक रूप से सर्वाधिक 56.45% डोभा योजनाएँ प्रारंभ की गई तथा अपने कार्यकाल में 515 Assets ID created के सापेक्ष 447 योजनाओं का Geo Tag किया गया। संदर्भित तिथि 25.04.2017 पर अन्य आरोपित बिन्दुओं पर भी इनका प्रत्युत्तर परिस्थिति के अनुकूल स्वीकार्य है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से संबंधित बिन्दुओं पर श्री स्वर्णकार के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया है ।

अतः समीक्षोपरांत, श्री अंगारनाथ स्वर्णकार, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सदर साहेबगंज, द्वारा समर्पित अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए उन्हें इस मामले में भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ANGAR NATH SWRNAKAR 110091296555	श्री अंगारनाथ स्वर्णकार, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सदर साहेबगंज, द्वारा समर्पित अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए उन्हें इस मामले में भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अंगारनाथ स्वर्णकार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3282

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 26 -- 50